आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

15/11/2018

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।

जमाबंदी रद्दवाद संख्या–09/AC/2012–13

सरकार बनाम जज मल्लाह एवं अन्य

आदेश

यह जमाबंदी रद्द वाद समाहर्त्ता न्यायालय जहानाबाद के वाद संख्या–7/DM/2008 सरकार बनाम जज मल्लाह में समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–21.01.2013 को पारित आदेश के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, जहानाबाद के पत्रांक–68/विधि दिनांक–29.09.2013 के द्वारा दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के तहत निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद का सारांश यह है कि मौजा ईरकी थाना–346 खाता संख्या–53 प्लॉट सं0–1522 कुल रकवा–6.58 एकड़ भूमि गैरमजरूआ मालिक का जमाबंदी जज मल्लाह पिता–रामेश्वर मल्लाह एवं अन्य सभी साकिन–ईरकी टोला मदारपुर थाना/अंचल–जहानाबाद के नाम से चल रहे जमाबंदी को अंचल अधिकारी जहानाबाद द्वारा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से समाहर्त्ता, जहानाबाद को प्रेषित किया गया दाखिल–खारिज अधिनियम 2011 के प्रभावी होने के बाद उपरोक्त आदेश द्वारा इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया है।

भूमि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	रैयत का नाम एवं पता	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	जमाबंदी संख्या
1	जज मल्लाह पिता–रामेश्वर मल्लाह साकिन–ईरकी टोला मदारपुर	53	1522	13 कट्ठा 6 धुर	30/03
2	सुंदरी देवी पति–तेतर मल्लाह साकिन–ईरकी टोला मदारपुर	53	1522	14 कट्ठा 6 धुर	15/03
3	मुंगेश्वर देवी पति–लक्षमण यादव साकिन–ईरकी टोला मदारपुर	53	1522	10 कट्ठा	19/03
4	शिव बालक यादव पिता–नन्हक यादव साकिन–ईरकी टोला मदारपुर	53	1522	13 डी0	132/22 एवं 17/03

विपक्षी का कहना है कि विवादित पुराना प्लॉट न0–1522 में सम्पूर्ण एराजी 06.58 एकड़ का दावा नहीं किया गया है बल्कि इस विवादित एराजी 6.58 एकड़ भूमि में जज मल्लाह के नाम से 13 कट्ठा 06 धुर, सुंदरी देवी के नाम से 14 कट्ठा 06 धुर एवं मुंगेश्वरी देवी के नाम से 10 कट्ठा जमीन की जमाबंदी जहानाबाद अंचल में विधिवत कायम है और इन तीनों के वरिसानों के द्वारा वर्तमान में जमीन 6.58 एकड में क्रमशः 13 कट्ठा 06 धुर, 14 कट्ठा 06 धुर एवं 10 कट्ठा को दावा किया गया है। यह भी कहना है कि बिहार सरकार का यह दावा है कि विवादित जमीन खाता

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई में टिप्पणी, तारीख 3

न0–53 प्लॉट न0–1522 एराजी 6.58 एकड़ की जमीन बिहार सरकार की है, जिसके कुछ अंश पर सरकारी स्कूल भवन बना हुआ है और शेष जमीन बिहार सरकार के द्वारा भिन्न–भिन्न भूमिहीनों के नाम में बंदोबस्ती की गयी है। परंतु इन विपक्षीयों के कब्जा में बने रहने के कारण बंदोबस्तदारों को बंदोबस्त की गयी जमीन पर आज तक दखल–कब्जा नहीं मिल पाया है और इस सभी के नाम से अंचल में कायाम जमाबंदी किसी सक्षम पदाधिकारी के बिना आदेश कायम की गयी है, जिससें निरस्त करने योग्य है और निरस्त किया जाय। विपक्षीयों का यह भी कहना है कि विवादित जमीन के अंश के निस्पत जज मल्लाह, सुंदरी देवी एवं मुंगेश्वरी देवी के नाम से क्रमशः 13 कट्ठा 06 धुर, 14 कट्ठा 06 धुर एवं 10 कट्ठा की जमाबंदी अंचल कार्यालय में जो आज तक कायम है पूर्ण रूप से नियमतः सही है और उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। 06.58 एकड़ भूमि का खतियान पुराना सर्वे में गैरमजरूआ मालिक के रूप में बना था और इस जमीन की जमीनदार अब्बुबकर हलीम, बीबी सादिका खातुन एवं गुलाम मोहिउदीन थें जो जमीनदारी जाने के बाद भी इस जमीन के अपने खास कब्जा में रखे थे और इसका मुआवजा सरकार से न तो यह सभी जमीनदार लिये और न दावा किये तथा जमीनदारी जाने के बाद भी यह जमीन भूतपूर्व जमीनदार के पास कब्जे मे रही। भूतपूर्व जमीनदार ने अन्य जमीन के अलावे इस जमीन का भी एक निबंधित पावर औफ अर्टनी मो0 नजमुद्धीन साहब एडवोकेट को वर्ष 1959 में लिखा था इस मौख्तारनामा आय के आधार पर भिन्न भिन्न एराजी को अन्य जीमन के साथ–साथ समय–समय पर निबंधित केवाला के आधार पर बिक्री किये और खरीदारों को कब्जा-दखल–खरीदगी वाली जमीन पर दिये।

यह है कि विपक्षी जज मल्लाह भी निबंधित केवाला दिनांक–07.05.1959 द्वारा इस विवादित प्लॉट में 13 कट्ठा 06 धुर नजमुद्धीन साहब से खरीदे थे और कब्जा दखल में आये तथा नया सर्वे अंतिम खतियान भी इस जमीन का जज मल्लाह के नाम से बना है और इसके नाम से विधिवत कायम जमांबदी आज भी अक्षुण है और बिहार सरकार को लगान अदा करने पर लगान रसीद कटती है। जज मल्लाह के मरने के बाद इनका बेटा शुम्भु केवट इस 13 कट्ठा 06 धुर में से 01 कट्ठा जमीन निबंधित केवाला दिनांक–27.02.1989 द्वारा रामप्रवेश पासवान के हाथों बिक्री किये है जिसकी चुनौती आज तक नहीं दी गयी है। सुंदरी देवी भी इसी खाता प्लॉट में 14 कट्ठा 06 धुर जमीन निबंधन केवाला दिनांक–06.09.1959 के द्वारा मो0 नजमुद्धीन साहब से उचित जरसमन देकर खरीदी है एवं कब्जा दखल में आयी है और उनके नाम नया सर्वे खतियान अंतिम बना जिसकी चुनौती आज तक किसी के द्वारा नहीं दी गयी है तथा उसके नाम से अंचल कार्यालय में जमाबंदी कायम है और वह लगान देकर बराबर मालगुरी रसीद कटवाती है तथा मुंगेश्वरी देवी भी इसी खाता प्लॉट में 10 कट्ठा जमीन निबंधित केवाला दिनांक–09.09.1959 के द्वारा उसी मो0 नजामउद्धीन साहब से विधिवत खरीद की है और कब्जा दखल में आयी है तथा उसी आधार पर नया सर्वे में उनके नाम से अंतिम नया सर्वे खतियान की प्रकाशित हुआ जिसें आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी तथा अंचल कार्यालय में उनके नाम पर जमांबदी भी कायम है और वह लगान देकर बराबर मालगुजारी रसीद कटवाती है।

यह है कि विवादित प्लॉट में स्कूल बनाने के लिए बिहार सरकार को इन विपक्षीयों के द्वारा दान में जमीन दी गयी है, जिसपर स्कूल भवन का निर्माण हुआ तथा भूमिहीनों के नाम से निर्गत बंदोबस्ती का दस्तावेज उन विपक्षीयों के बिना सहमति एवं बिना जानकारी के है तथा बिहार सरकार के द्वारा विवादित प्लॉट की जमीन को आज से 100 साल पहले तैयार वर्ष 1916 के खतियान के आधार पर किया